फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

प्र संख्या :– 17 /2024

गोपाल **बनाम** कपूरी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता निर्मल कुमार जैन हाजिर। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को सम्मन जरिये रजि0 डाक भेजे। सम्मन अदम तामिल लोटकर प्राप्त नही हुए है। अतः तामिल सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील के उपरान्त भी प्रति. 1 लगायत 7 हाजिर नही हुई, अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। उपस्थित वादी अधिवक्ता नें प्राथमिक डिकि जारी करने हेतु निवेदन किया। वादीगण के निवेदन पर दावा निम्नानुसार प्राथमिक डिकि किया जाता है। तहसीलदार तहसील कोटखावदा जयपुर ग्रामीण विवादित आराजीयात के खाता संख्या 4 के खसरा नंबर 714, 715, 716, 717, 718, 719 कुल किता 06 कुल रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कोहल्या पटवार हल्का राडोली तहसील कोटखावदा पर तहसीलदार कोटखावदा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी के डाक खर्चे पर प्रतिवादीगणों को लिखित सूचना देते हुय उपर्युक्त विवादित आराजीयात का मौका निरीक्षण करें, एवं विभाजन प्रस्ताव मुताबिक नियम 18 से 21, राज. काश्त. नियम 1956 के अनुसार तैयार करें। विभाजन प्रस्ताव उपर्युक्त अनुसार तीन प्रतियों में न्यायालय में आगामी तारीख पेशी तक पेश है, इस आशय की तहरीर तहसीलदार तहसील चाकसू को जारी हो डिकी पर्चा जारी हो, तहरीर के साथ भेजा जावें। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
20/6/24	पत्रावली पेश हुयी/R.O. सम्मन/कार्य कन्डोलेशन ... जनरल दिनांक 24/6/24	